वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – लौहारी, कोटी, हैया, सिलगाड़, कुनैन.

तहसील – चकराता

जिला – देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** जंगलात चौकी – सिलीखड .... **(Total Length** 32.9 **KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.987 है0 वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... द्वारा दिनांक 20-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.987 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** के पक्ष **में कार्य करने की अनुमति** दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बुनाड़, रावगी, कुनैन

तहसील – Tiuni

जिला – Dehradun.

उत्तराखण्ड में जनपद Dehradun. के विकास खण्ड Chakrata में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** Tiuni – Daragad-Kanda Band-Dirnat .... **(Total Length** 24 **KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.72 है0 वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — द्वारा दिनांक 22-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... .के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.72 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** के पक्ष में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत कुनैन
झूलो देवी
वि०ख०–चकराता (देहरादून)

Vindhya Telelinks Limited

ह0

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत रावगी
मोतीकला
वि०ख०चकराता (देहरादून)